राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा

क्रमांक :एफ 2/2/2020/Spl-1 दिनांक : 22-03-2020

आदेश

कोरोना (COVID-19) वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2020 को जारी एडवाईजरी एवं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के आदेश क्रमांक न्याय/2020/1751 दिनांक 21.03.2020 एवं राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में कोरोना (COVID-19) वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा में दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण अवकाश घोषित किया जाता है। यह आदेश विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं जैसे जल वितरण, विद्युत संबंधित सेवाऐं, चिकित्सा संबंधी सेवाऐं, सुरक्षा संबंधी सेवाऐं एवं सफाई व गार्डनिंग से संबंधित कार्मिकों आदि पर लागू नहीं होगा।

दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के मध्य विश्वविद्यालय परिसर में आवा जाही पूर्णतया बन्द होगी। अति आवश्यक कार्य होने की स्थिति में कुलसचिव अथवा डीन फेकल्टी अफेयर्स की अनुमति से ही बाहरी व्यक्ति को विश्वविद्यालय परिसर में आने की अनुमति होगी। विश्वविद्यालय परिसर रह रहे कार्मिकों के घर यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो कृपया वह अपनी कोरोना (COVID-19) वायरस के संक्रमण संबंधी प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण अवश्य करवा ले तद्उपरान्त ही परिवार के साथ रहे। प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण हेतु **Dr. Vinod Prabhakar 7014958556 & Dr. Ghanshyam Meena 9828441033, 9530390428** से सम्पर्क किया जा सकता है।
Corona Virus Control Room Email Id- **coronakota@gmail.com**

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की जाती है कि कोरोना (COVID-19) वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न राजकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा जारी की जा रही एडवाजरी की स्वयं एवं समाज हित में पालना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक अपने घरों में रहे, घर से बाहर न निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जावें। मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अति–आवश्यक कार्य होने पर ही अपना घर छोड़ें। सभी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेगें, कोई भी कार्मिक मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

यह आदेश माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी किये जाते है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय
2. समस्त डीन/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त कार्यालयाध्यक्ष
3. चिकित्सा अधिकारी, विश्वविद्यालय डिस्पेंसरी
4. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव